रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2018/आषाढ़ 8, 1940
No. 435] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2018/ASHADHA 8, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

सा.का.नि. 593 (अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 16 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3337 (अ) के द्वारा एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, से उस तारीख से जिसकी उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जन-साधारण को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।

और, राजपत्र की प्रतियां दिनांक 16 अक्तूबर, 2017 को जन-साधारण को उपलब्ध कराई गई थीं।

और, केंद्र सरकार द्वारा इस प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पक्षों से प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विधिवत् रूप से विचार किया गया है।

अत: अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,-

(क) स्तंभ 4 में क्रम संख्या 5क के सामने, मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात:—

"III. विनिर्दिष्ट जल उपभोग, तारीख 1 जनवरी, 2017 के पश्चात् संस्थापित किए गए नए संयंत्र के लिए 3.0 मी^{3}/एमडब्ल्यूएच से अधिकतम नहीं होगा और ये संयंत्र शून्य अपशिष्ट जल बहाव को हासिल करेंगे।"

(ख) क्रम संख्या 5 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्रम सं	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
"5ख	तापीय विद्युत संयंत्र (जल उपभोग सीमा समुद्री जल का प्रयोग)	जल उपभोग	उपरोक्त क्रम सं 5क में स्तंभ 4 में मद I से III समुद्री जल का प्रयोग करने वाले तापीय विद्युत संयंत्र पर लागू नहीं होगा";

(ग) क्रम सं 25 में, निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"टिप्पण : सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रोजन और धूल-कण के लिए सभी मानीटर किए गए मान को शुष्क आधार पर 6% आक्सीजन के लिए संशोधित किया जाएगा।";

(घ) क्रम सं 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्निलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा:-

क्रम सं	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
"33क	आर्द्र-फ्लू गैस डीसल्फयुराईजेशन (एफजीडी) के साथ तापीय विद्युत संयंत्र	चिमनी की ऊंचाई/मीटर में सीमा	विद्युत उत्पादन क्षमता: 100 मेगावाट और अधिक एच= 6.902 (क्यू x 0.277)$^{0.555}$ अथवा 100 मीटर न्यूनतम 100 मेगावाट से कम एच= 6.902 (क्यू x 0.277)$^{0.555}$ अथवा 30 मीटर जो भी अधिक हो"; क्यू=सल्फर डाइआक्साइड की कि.ग्रा./उत्सर्जन दर* एच= मीटर में भैतिक स्टाक ऊंचाई।" *चिमनी से जुड़ी सभी यूनिटों का योग **टिप्पणी :** ये मानक कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों पर लागू होंगे।

[फा. सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू)]

डॉ. ए. सेंथिल वेल, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल नियम के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) का.आ. 844 (अ) तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार अधिसूचना सा.का.नि. 568 (अ) दिनांक 18 जून, 2018 के द्वारा संशोधित किया गया।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2018

G.S.R. 593 (E).—Whereas, a draft notification, for Thermal Power Plants was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R. 3337(E), dated the 16th October, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the dated on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette were made available to the public on the 16th October, 2017;

And Whereas, all objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I,-

(a) against serial number 5A, in column 4, for item III, the following item shall be substituted, namely:-
"III. Specific water consumption shall not exceed maximum of 3.0 m^3/MWh for new plants installed after the 1st January, 2017 and these plants shall also achieve zero waste water discharge.";

(b) after serial number 5A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
"5B.	Thermal Power Plant (water consumption limit) using sea water	Water consumption	Items I to III in column 4 in serial number 5A above shall not be applicable to the Thermal Power Plants using sea water";

(c) in serial number 25, the following Note shall be inserted, namely:—

"**Note:** All monitored values for SO_2, NOx and Particulate Matter shall be corrected to 6% Oxygen, on dry basis";

(d) after serial number 33 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4

"33A.	Thermal Power Plants with wet Flue Gas Desulphurization (FGD)	Stack Height/Limit in Meters	Power generation capacity: - 100 MW and above $H=6.902(QX0.277)^{0.555}$ or 100 m minimum - Less than 100 MW $H=6.902(QX0.277)^{0.555}$ or 30 m whichever is more"; Q = Emission rate of SO_2 in kg/hr* H = Physical stack height in meter *total of the all Unit's connected to stack **Note:** These standards shall apply to coal / lignite based Thermal Power Plants.".

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]
DR. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and last amended *vide* notification number G.S.R. 263(E), dated the 22nd March, 2018.

IndiaCode

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.03 20:39:18 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.